न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– एम. एल. चौहान, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 82/2016 (बांसवाड़ा डिक्री)

1. वरसेंग पिता धीरा जी भील, निवासी कल्याणपुरा, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. बापुडा पिता धीरा जी भील, निवासी कल्याणपुरा, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. स्वर्गीय खातिया पिता हरदारिया के वारिसान :–

1/1. लक्ष्मण पिता स्वर्गीय खातिया भील, निवासी कल्याणपुरा, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)

1/2. भाणजी पिता स्वर्गीय खातिया भील, निवासी कल्याणपुरा, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)

1/3. कान्तु पिता स्वर्गीय खातिया भील, निवासी कल्याणपुरा, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)

1/4. श्रीमती कर्मा पत्नी स्वर्गीय खातिया भील, निवासी कल्याणपुरा, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)

2. लाला पिता जीवणा जी भील, निवासी कल्याणपुरा हाल बीजीलिया, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)
3. रामचन्द्र पिता जीवणा जी भील, निवासी कल्याणपुरा हाल बीजीलिया, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)
4. नरसिंह पिता धीरा जी भील, निवासी कल्याणपुरा, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)
5. तहसीलदार आम्बापुरा, जिला बांसवाड़ा (राज.)
6. श्रीमती इतरी पत्नी जीवणा जी भील, निवासी कल्याणपुरा हाल बीजीलिया, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त. अधि. 1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी, बांसवाड़ा
दिनांक 23.05.2016, प्र. सं. 21/02

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1— श्री मुकेश त्रिवेदी अभिभाषक अपीलान्ट
2— श्री यशपाल गुप्ता अभिभाषक रे.सं. 1/1 से 1/4
3— राजकीय पैरोकार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5

———::———

निर्णय **दिनांक 21—01—2020**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 व 6 द्वारा अपीलान्टगण व अन्य रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 125 व 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण के कब्जे काश्त की कृषि आराजी नंबर 71, 86, 87, 90 व 101 कुल किता 5 रकबा 16 बीघा 18 बिस्वा भूमि ग्राम कल्याणपुरा में स्थित है, जिस पर वादीगण का अपने बाप—दादाओं के समय से कब्जा चला आ रहा है तथा उक्त भूमि पूर्व में वादीगण के पिता हरदारिया के नाम दर्ज थी। उक्त भूमि में प्रतिवादीगण का किसी प्रकार का कोई हक अधिकार नहीं है, किन्तु उन्होंने पीठ पीछे राजस्व कर्मचारियों से मिलकर वादीगण के पिता हरदारिया जी को फरार होना बताकर नामान्तकरण धीरा पिता कानजी स्वीकृत करवा लिया, जो वादीगण के मुकाबले अवैध व शून्य है। अतः वादीगण को विवादित भूमियों का खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का नाम खाते से हटाया जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया, जिसके आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कुल 4 तनकियात कायम की गयी तथा उभयपक्षों को सुनने के बाद तनकीवार विवेचन करते हुए अपने निर्णय दिनांक 23—05—2016 से वादीगण का वाद स्वीकार डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 21—10—2016 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1/1 से 1/4 की ओर से वकील श्री यशपाल

गुप्ता उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 औपचारिक पक्षकार की ओर से राजकीय पैरोकार उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मयाद का आवेदन सशपथ प्रस्तुत किया गया, जिसे गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में स्वीकार किया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वकील मीमों में वर्णित तथ्यों को ही पुनः दोहराया तथा बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को बिना सूचना दिये प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर निर्णय पारित कर दिया, जबकि पक्षकारों के मध्य किसी प्रकार का राजीनामा नहीं हुआ है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को बिना सुने एवं उपलब्ध दस्तावेजों का बिना अवलोकन किये निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे।

विद्वान वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को साक्ष्यों के अनुसार होना बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकार्ड व निर्णय का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय ने हालांकि राजस्व कैम्प में निर्णय पारित किया है, किन्तु तनकीवार विवेचन करते हुए मौका रिपोर्ट के आधार पर उपलब्ध साक्ष्यों अनुसार निर्णय पारित किया है, जिसमें प्रथम दृष्टया हम किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 23–05–2016 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 21–01–2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एम. एल. चौहान, आर.ए.एस.** .....

वरसेंग पिता धीरा जी भील, नि0 कल्याणपुरा, तहसील व जिला बासंवाड़ा व अन्य	बनाम	**स्व. खातिया के बजाय लक्ष्मण भील नि0 कल्याणपुरा हाल बीजीलिया तहसील व जिला बांसवाड़ा व अन्य**

अपील नं.....**82 / 2016**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
..... **बांसवाड़ा** ..... मुकाम.....मुवर्खे.....**....23**.....माह.....**05**.....**2016**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**21**....माह.....**01**.....सन् **2020** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री मुकेश त्रिवेदी**.....मिनजानिब अपीलान्ट व .....**श्री यशपाल गुप्ता**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 23–05–2016 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**21**.....माह.....**01**.....**2020** को जारी किया गया ।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2020.01.27 13:43:47 IST
Reason: SelfAttested
Location: